2025: एचएचसीः 25189

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला

सीडब्ल्यूपी संख्या 10589/2025
निर्णय की तिथिः 30.07.2025

अर्चना शर्मा .....याचिकाकर्ता

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप शर्मा, न्यायाधीश ।
क्या रिपोर्टिंग के लिए मंजूरी दी गई है?[1] हाँ।

याचिकाकर्ता के लिएः	श्री करण कपूर, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण के लिएः	राज्य की ओर से श्री राजन कहोल, श्री विशाल पंवार एवं श्री बी.सी. वर्मा, अपर महाधिवक्तागण, साथ में श्री रवि चौहान, उप महाधिवक्ता ।

संदीप शर्मा, न्यायाधीश (मौखिक):

वर्तमान याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में नागरिक अस्पताल, पांवटा साहिब में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, नागरिक अस्पताल, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा जारी आदेश दिनांकित 10.07.2025 (अनुलग्नक आर-3) से व्यथित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करने हेतु दायर प्रतिवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के समय याचिकाकर्ता के दो जीवित बच्चे थे।

2. संक्षेप में, संबंधित पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत अभिवचनों से उभर कर आने वाले मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का विवाह वर्ष 2016 में संपन्न हुआ था और तत्पश्चात उसने दो बच्चों को जन्म दिया।वर्ष 2019 में, याचिकाकर्ता का बैच-वार (batch-wise) आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में चयन हुआ था और तब से वह नागरिक अस्पताल, पांवटा साहिब में पूर्वोक्त हैसियत से कार्यरत है।दिनांक 05.03.2025 को, याचिकाकर्ता ने नागरिक अस्पताल, पांवटा साहिब में एक बच्चे को जन्म दिया।दिनांक 06.03.2025 को, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.03.2025 से मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु एक आवेदन दिया, हालांकि, उनकी इस प्रार्थना पर विचार नहीं किया गया और इस कारण, वह सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9854/2025 के माध्यम से इस न्यायालय का रुख करने के लिए विवश हुई, जिसका निपटारा आदेश दिनांक 19.06.2025 के द्वारा प्रत्यर्थीगण को एक सप्ताह के भीतर मातृत्व अवकाश की स्वीकृति के

संबंध में याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था, हालांकि, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से पुनः इस न्यायालय का रुख किया है।दिनांक 03.07.2025 के आदेश द्वारा नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने विद्वान अपर महाधिवक्ता से विशेष रूप से यह निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था कि सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9854/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2025 के निबंधनों के अनुसार याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर आज दिनांक तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया है।

---

1 क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां.

3. इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थीगण ने याचिका का जवाब दाखिल करने से पूर्व आदेश दिनांक 10.07.2025 (अनुलग्नक आर-3) पारित किया, जिसके द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43(1) के निबंधनों के अनुसार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया, जो दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करता है।पूर्वोक्त संसूचन के माध्यम से, वर्तमान याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया कि चूंकि उसके दो जीवित बच्चे हैं, इसलिए वह उपर्युक्त विस्तृत नियम के निबंधनों के अनुसार तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है।चूंकि वर्तमान याचिका दायर करने से पूर्व, पूर्वोक्त आदेश याचिकाकर्ता को कभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए वह वर्तमान याचिका में इसे चुनौती देने में असमर्थ थी, हालांकि, एक बार जब पूर्वोक्त आदेश जवाब दाखिल करके रिकॉर्ड पर ला दिया गया है, तो इसकी वैधता, यदि कोई हो, वर्तमान कार्यवाहियों में देखी जा सकती है।

4. प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाब में याचिकाकर्ता के वर्ष 2016 में विवाह संपन्न होने और तत्पश्चात नागरिक अस्पताल, पांवटा साहिब में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त होने से पूर्व दो बच्चों के जन्म के तथ्य के संबंध में कहीं भी विवाद नहीं उठाया है।वर्तमान याचिका में प्रस्तुत याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर विफल करने का प्रयास किया गया है कि सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 का नियम 43(1) तीसरे बच्चे के जन्म के संबंध में मातृत्व अवकाश की स्वीकृति की कहीं भी अनुमति नहीं देता है, विशेषकर तब, जब ऐसी

मातृत्व अवकाश चाहने वाली महिला कर्मचारी के दो जीवित बच्चे हों।इस चरण पर, सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43(1) का संज्ञान लेना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:

> "43. मातृत्व अवकाश
> (1) दो से कम जीवित बच्चों वाली एक महिला सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रारंभ होने की तिथि से (180 दिनों) की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।"

4.1. यद्यपि, पूर्वोक्त नियम का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर, प्रत्यर्थीगण/राज्य की ओर से उठाए गए तर्क में बल प्रतीत होता है, किंतु वर्तमान मामले में जिस प्रश्न का निर्धारण किया जाना आवश्यक है वह यह है कि "क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी, जो दो बच्चों को जन्म देने के पश्चात सरकारी सेवा में शामिल होती है, उसे केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43(1) की आड़ में तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित किया जा सकता है या नहीं?"

5. यह विषय, जैसा कि ऊपर तैयार किया गया है, अब अनिर्णीत नहीं रह गया है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग समान तथ्यों और परिस्थितियों में, सिविल अपील संख्या 2526/2025, शीर्षक के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य, जिसका निपटारा दिनांक 23.05.2025 को हुआ था, में तमिलनाडु राज्य को एक ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिसने अपने पुनर्विवाह के बाद तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और उसकी पिछली शादी से हुए दो बच्चे उसके पूर्व पति की कस्टडी में थे।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में, तमिलनाडु राज्य द्वारा इसी तरह का तर्क दिया गया था कि सी. सी.एस (अवकाश) नियमावली, 1972 का नियम 43(1) महिला सरकारी कर्मचारी को तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की कहीं भी अनुमति नहीं देता है।तमिलनाडु राज्य की ओर से लिए गए पूर्वोक्त तर्क को नकारते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि रोजगार के संदर्भ में, बच्चे के जन्म को जीवन की एक प्राकृतिक घटना के रूप में समझा जाना चाहिए और इसलिए, मातृत्व अवकाश के प्रावधानों को उसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।यह टिप्पणी करते हुए कि जब न्यायालयों के समक्ष ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तो वे संबंधित कानून के अनुप्रयोग को रोकने के बजाय उसके उद्देश्य को प्रभावी बनाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा।

6. यद्यपि पूर्वोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के इस तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि उस मामले में याचिकाकर्ता के मामले में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, किंतु यह टिप्पणी की कि निश्चित रूप से

तीसरे बच्चे के संबंध में मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने की उनकी प्रार्थना पर मूल नियमों (फंडामेंटल रूल्स) के नियम 101 के आलोक में विचार किया जाना उचित है।चूंकि मूल नियमों (फंडामेंटल रूल्स) के पूर्वोक्त प्रावधान का संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर संदर्भित निर्णय में पहले ही लिया जा चुका है, इसलिए इस न्यायालय के लिए इसे यहाँ पुनरुद्धृत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।यद्यपि उपरोक्त प्रावधान, विशेष रूप से एफ.आर. 101(ए) के खंड (ii) के परंतुक का अवलोकन करने पर, यह न्यायालय पाता है कि खंड (i) या (ii) में संदर्भित मातृत्व अवकाश, दो से कम जीवित बच्चों वाली एक विवाहित महिला सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाएगा, किंतु पूर्वोक्त प्रावधान का दूसरा परंतुक यह प्रावधान करता है कि पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चों के रूप में पैदा हुए दो जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में, एक और डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, (2023) 13 एससीसी 681 शीर्षक वाले मामले में अपने पूर्व के निर्णय का संज्ञान लेते हुए, यह स्वीकार किया कि मातृत्व लाभ अधिनियम पी.जी.आई.एम.ई.आर. (PGIMER) पर एक प्रतिष्ठान (तमिलनाडु राज्य में संस्था) के रूप में लागू नहीं होता है, फिर भी विधायी नीति को आगे बढ़ाने वाले दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से, उससे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ लिया।इसके आगे यह टिप्पणी की गई कि पूर्वोक्त अधिनियम महिलाओं के मातृत्व अवकाश के अधिकार को सुरक्षित करने और महिलाओं को एक माँ और एक कामकाजी महिला, दोनों के रूप में एक स्वायत्त जीवन जीने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक लचीलापन (flexibility) प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।पूर्वोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न जनसंख्या नियंत्रण उपायों का सहारा लेकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने की राज्य की नीति की सराहना करते हुए, यह भी टिप्पणी की कि दो बच्चों के मानक का उद्देश्य देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों का हिस्सा है और वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश सहित महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने का उद्देश्य परस्पर विनाशकारी नहीं हैं तथा सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों को एक उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से सुसंगत (harmonized) किया जाना चाहिए।के. उमादेवी (उक्त) मामले में पारित निर्णय के प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैं:

> " 33.3.उस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि अपीलकर्ता के जीवनसाथी का पूर्व में एक विवाह हुआ था जो उनकी पत्नी की मृत्यु के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था, जिसके बाद अपीलकर्ता ने उनसे

विवाह किया।हालाँकि, जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, वह इस न्यायालय की निम्नलिखित घोषणा है:

> 24. यह तथ्य कि अपीलकर्ता के पति के उनके पहले विवाह से दो जैविक बच्चे थे, अपीलकर्ता के अपने एकमात्र जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा.....

33.4.इस प्रकार, यह न्यायालय यह घोषणा करने में स्पष्ट था कि अपीलकर्ता के पति के उनके पहले विवाह से दो जैविक बच्चे होने का तथ्य, अपीलकर्ता के अपने एकमात्र जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।अपीलकर्ता के पति के उनके पिछले विवाह से हुए दो बच्चों के लिए उसे (अपीलकर्ता को) बाल देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) स्वीकृत किए जाने के आधार पर, 1972 के नियमों के नियम 43 के तहत उसे मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता है। रोजगार के संदर्भ में, बच्चे के जन्म को जीवन की एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए और इसीलिए, मातृत्व अवकाश के प्रावधानों की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए कि जब न्यायालयों के समक्ष ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तो उनके लिए संबंधित कानून के अनुप्रयोग को रोकने के बजाय उसके उद्देश्य को प्रभावी बनाने का प्रयास करना ही उचित होगा।

34. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह सत्य है कि अपीलकर्ता के पहले विवाह से उसके दो जैविक बच्चे हैं। लेकिन वह उसकी सेवा में प्रवेश से पहले की बात थी। सेवा में प्रवेश करने के बाद और उसके वर्तमान विवाह से, यह उसकी पहली संतान है। यह रिकॉर्ड पर आया है कि उसके पहले विवाह से हुए दोनों बच्चे उसके साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने पिता के साथ रह रहे हैं, जिसके पास उनकी कस्टडी (अभिरक्षा) है।

35. विभिन्न जनसंख्या नियंत्रण उपायों का सहारा लेकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने की राज्य की नीति निश्चित रूप से एक सराहनीय उद्देश्य है। इसी प्रकार महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने का उद्देश्य भी (सराहनीय) है। देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के हिस्से के रूप में दो बच्चों के मानक (नियम) को रखने का उद्देश्य और वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश सहित महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने का उद्देश्य परस्पर विरोधी नहीं हैं। सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

36. इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को राहत प्रदान की थी, तथापि हम विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क की शैली से भी स्वयं को सहमत करने में असमर्थ हैं।

37. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 14.09.2022 के निर्णय और आदेश को निरस्त करते हैं और यह घोषित करते हैं कि

अपीलकर्ता को एफ.आर. 101(ए) के तहत मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। अपीलकर्ता को स्वीकार्य मातृत्व लाभ आज से दो महीने की अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।

6.1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त मामले में, यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि उस मामले की याचिकाकर्ता के पहले विवाह से दो जैविक बच्चे हैं, फिर भी न्यायालय ने पुनर्विवाह के बाद पैदा हुए बच्चे के संबंध में याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया; और इसका आधार यह था कि उसके पहले विवाह से हुए दोनों बच्चे उसके साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने पिता के साथ रह रहे हैं।

7. विचाराधीन मामले में, यहाँ याचिकाकर्ता ने सेवा में शामिल होने (नियुक्ति) से पहले दो बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन सेवा के दौरान अपने तीसरे बच्चे के संबंध में ही सही, मातृत्व अवकाश प्रदान करने की उसकी प्रार्थना (मांग) पहली बार की गई थी।यदि ऐसा है, तो मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए उनकी ओर से की गई प्रार्थना (मांग) स्वीकार किए जाने योग्य है, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के. उमादेवी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 9270/2024, शीर्षक कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम रवीना यादव, निर्णय तिथि 22.07.2024 में पारित निर्णय का संज्ञान लिया गया है, जिसके द्वारा मातृत्व लाभ के उद्देश्य को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि मातृत्व अवकाश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक कामकाजी महिला प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात की अवधियों के दौरान काम से मजबूरन अनुपस्थित रहने के लिए प्रताड़ित होने के भय से विचलित हुए बिना, सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्वक मातृत्व की स्थिति से उबर सके।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह केवल मातृत्व ही नहीं बल्कि बचपन भी है, जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है; और मातृत्व अवकाश प्रदान करते समय माँ के साथ-साथ बच्चे, दोनों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।मातृत्व अवकाश की अवधारणा न केवल न्यायसंगत व्यवहार और सामाजिक न्याय का विषय है, बल्कि इस देश की महिला कर्मचारियों को दी गई एक संवैधानिक गारंटी भी है, जिसकी पूर्ति के लिए राज्य (सरकार) कार्य करने के लिए बाध्य है।

6. नतीजतन, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान याचिका में योग्यता पाता है और तदनुसार इसकी अनुमति है।वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सिविल अस्पताल,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा जारी आक्षेपित (विवादित) आदेश दिनांकित 10.07.2025 (अनुलग्नक आर-3) को रद्द और निरस्त किया जाता है और प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43(1) के तहत तत्काल मातृत्व अवकाश प्रदान करें।

वर्तमान याचिका को उपरोक्त के अनुसार निस्तारित किया जाता है, साथ ही लंबित विविध आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हों, को भी।

(संदीप शर्मा),
न्यायाधीश

30 जुलाई, 2025
(राजीव रतूड़ी)